**भारत सरकार**
**संचार मंत्रालय**
**दूरसंचार विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 5375**
**उत्तर देने की तारीख 25 मार्च, 2026**

## नेटवर्क की व्यस्तता

**5375. श्री आदित्य यादव:**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में, विशेषकर संचार सुविधा के अभाव से ग्रस्त गांवों, बाहरी बस्तियों और कृषि क्षेत्रों में, नेटवर्क की व्यस्तता, कॉल ड्रॉप, इंटरनेट की गति, सेवा की विश्वसनीयता और असमान कवरेज से संबंधित समस्याओं की पहचान करने के लिए कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा नेटवर्क क्षमता में वृद्धि करने, सेवा की विश्वसनीयता में सुधार करने, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के साथ समन्वय को सुदृढ़ करने, कनेक्टिविटी की निरंतर कमी को दूर करने और पूरे जिले में संचार सेवाओं की एकसमान गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**
**संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री**
**(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)**

(क) से (ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) सेवा प्रदाताओं से लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एलएसए)-वार नियमित रूप से कार्य निष्पादन निगरानी रिपोर्ट (पीएमआर) एकत्रित करके, क्यूओएस विनियमन में यथा निर्धारित विभिन्न सेवा गुणवत्ता (क्यूओएस) मापदंडों के मानक के अनुसार सेवा प्रदाताओं के कार्य निष्पादन की निगरानी करता है। जनवरी, 2026 माह की पीएमआर के अनुसार, उत्तर प्रदेश (पश्चिम) एलएसए में सभी सेवा प्रदाता एक्सेस सेवा

(वायरलेस) के नेटवर्क से संबंधित सभी क्यूओएस मापदंडों के मानक को पूरा कर रहे हैं जिसमें बदायूं जिला शामिल है।

इसके अलावा, सरकार ने देश में नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने, सेवा विश्वसनीयता में सुधार करने और कनेक्टिविटी के अंतर को दूर करने के लिए कई उपाय किए हैं:

i. विभिन्न डिजिटल भारत निधि स्कीमों के तहत सेवा से वंचित गांवों को कवरेज उपलब्ध कराया जा रहा है।

ii. नीलामी के माध्यम से मोबाइल सेवाओं के लिए पर्याप्त स्पेक्ट्रम का आबंटन करना।

iii. स्पेक्ट्रम के कुशल उपयोग के लिए स्पेक्ट्रम शेयरिंग, ट्रैडिंग और सरेंडर की अनुमति दी गई है।

iv. एसएसीएफए (रेडियो फ्रीक्वेंसी आबंटन पर स्थायी सलाहकार समिति) क्लीयरेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाना।

v. दूरसंचार मार्ग के अधिकार (आरओडब्ल्यू) नियमों की अधिसूचना और पीएम गतिशक्ति संचार पोर्टल के शुभारंभ के परिणामस्वरूप आरओडब्ल्यू अनुमतियां सुव्यवस्थित और दूरसंचार अवसंरचना की संस्थापना के लिए त्वरित मंजूरी प्राप्त हुई है।

vi. ट्राई ने दिनांक 02.08.2024 को सेवा गुणवत्ता मानकों को संशोधित किया है, जो दिनांक 01.10.2024 से विभिन्न मापदंडों के लिए लागू होंगे और बेहतर गुणवत्ता वाली सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए सेवा प्रदाताओं के कार्य निष्पादन की ट्राई द्वारा मानकों के अनुसार नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

वर्तमान में, जिले में 4,775 बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) संस्थापित हैं और जिले के सभी 1,678 गांव मोबाइल कनेक्टिविटी से कवर किए गए है। इसके अलावा, 1,041 ग्राम पंचायतों (जीपी) में से 692 जीपी को भारतनेट परियोजना के तहत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हेतु सेवा उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया जा चुका है।

****